अध्याय 5 ⟹ स्वास्थ्य तथा सुरक्षा

लेखापरीक्षा उद्देश्य 4

यह जांच करने हेतु कि क्या कर्मचारियों का स्वास्थ्य तथा सुरक्षा भारतीय कारखाना अधिनियम, 1948 की आवश्यकताओं तथा भारतीय रेलवे की नियमावली में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार था।

कर्मचारियों का स्वास्थ्य तथा सुरक्षा उत्पादकता बढ़ाने, कार्य-संबंधित संभावित चोट, बीमारी को कम करने तथा प्रदान किए गए उत्पादों अथवा सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक संगठन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा (आईएसओ 18001) संगठन में खतरो की पहचान, उनका मूल्यांकन तथा जोखिमों के नियंत्रण के लिए संरचित दृष्टिकोण अपनाने की मांग करता है। इसके अतिरिक्त, कारखाना अधिनियम 1948 में भी कर्मचारियों का हित सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधान अन्तर्निहित है।

लेखापरीक्षा ने कारखाना अधिनियम तथा भारतीय रेलवे चिकित्सा नियमपुस्तक के तहत निर्धारित स्वास्थ्य तथा सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ कार्यशालाओं, शेडों तथा उत्पादन ईकाईयां के अनुपालन की जांच की। यह अध्याय वर्कशाप, शेड तथा उत्पादन ईकाईयां के कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा से निपटने में भारतीय रेल के दृष्टिकोण को दर्शाता है।

5.1 वातायन-व्यवस्था तथा प्रकाश

कार्यशालाएं, शेड तथा उत्पादन ईकाईयां एक सावधानीपूर्वक बनाई गई अभिन्यास योजना, कर्मचारियों का स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सुनिश्चित करती है तथा किसी आपदा के लिए एक संगठन बनाती है। यह कर्मचारियों के लिए जोखिम क्षेत्रों का स्पष्ट सीमांकन तथा आपातकालीन सेवाओं की प्राप्ति की सुविधा को भी

सुनिश्चित करती है। कारखाना अधिनियम की धारा 13 के अनुसार, प्रत्येक वर्करूम में ताजी वायु के संचलन के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन बनाने तथा अनुरक्षण करने के लिए प्रत्येक कारखाने में प्रभावी तथा उपयुक्त प्रावधान बनाए जाने चाहिए। अधिनियम की धारा 17 यह भी अनुबंधित करती है कि उपयुक्त प्रकाश, प्राकृतिक या कृत्रिम या दोनों को कार्य क्षेत्रों पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

चयनित इकाईयो के अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:-

I. जांच की गई सभी कार्यशालाओं तथा शेड़ो मे पर्याप्त वेंटिलेशन तथा प्रकाश उपलब्ध था। हालांकि आठ क्षेत्रीय[92] रेलवे मे 23 कार्यशालाएं तथा 47 शेडों को कारखानों के निदेशक/निरीक्षक द्वारा अनुमोदित कार्यशालाओं तथा शेडो की अपनी अभिन्यास योजना नहीं मिली। कार्यशालाएं द्वारा अपनी अनुमोदित अभिन्यास योजना को प्राप्त करने के लिए पहल नहीं की गई थी (जून 2014);

II. जांच किए गए छः उत्पादन ईकाईयां में, इकाईयों की अभिन्यास योजना को कारखानों के महानिदेशक/निरीक्षक द्वारा स्वीकृत किया गया। वेंटिलेशन तथा प्रकाश के लिए उचित प्रावधान बनाए गए थे।

इस प्रकार, यद्यपि उचित वेंटिलेशन तथा प्रकाश के लिए पर्याप्त देखभाल की गई थी तथापि, सक्षम प्राधिकारी से अभिन्यास योजना की स्वीकृति प्राप्त करने में कार्यशालाएं तथा शेडों के प्राधिकारियों की ओर से पहल करने का अभाव था।

[92] ईसीओआर, ईसीआर, ईआर, एनसीआर,एनईआर, एनआर, एसईआर तथा एसआर

5.2 स्वास्थ्य जांच सुविधाएं

भारतीय रेलवे चिकित्सा नियमपुस्तक अनुबंधित करती है कि चिकित्सक/चिकित्सा अधिकारी[93] को कार्य के माहौल[94] विनिर्माण प्रक्रियाओं और व्यावसायिक फिजीयोलॉजी[95] के विभिन्न पहलुओं से स्वयं को परिचित कराने के लिए अक्सर ईकाईयों का निरीक्षण करना चाहिए। कार्य के माहौल के भौतिक तथा रसायनिक खतरों से उत्पन्न होने वाली दुर्घटनाओं तथा बीमारियों को रोकने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुशंसित सुरक्षा उपायो को अपनाया गया था, के लिए संबंधित कार्य की प्रबंधक को सिफारिशें की जानी चाहिए।

चिकित्सकों अथवा चिकित्सा अधिकारियों के आवधिक निरीक्षणों तथा अपनी सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति से संबंधित चयनित इकाईयों के अभिलखों की संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

I. चिकित्सकों द्वारा आठ क्षेत्रीय रेलों[96] में केवल नौ कार्यशालाओं तथा नौ शेडों (13 *प्रतिशत*) में आवधिक निरीक्षण किया गया। शेष 40 कार्यशालाएं तथा 80 शेडो में चिकित्सकों द्वारा आवधिक निरीक्षण नहीं किया गया;
II. सात क्षेत्रीय रेलों[97] में 10 कार्यशालाएं तथा 7 शेडो (12 *प्रतिशत*) में अनुशंसित सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग की गई थी;
III. क्षेत्रीय रेलों में 46 कार्यशालाएं तथा 77 शेडों से स्वास्थ्य ईकाईयां जुडी हुई थी। पांच क्षेत्रीय रेलों[98] में शेष 3 कार्यशालाएं तथा 12 शेड़ो में स्वास्थ्य

[93] भारतीय रेलवे चिकित्सा नियमपुस्तक का पैरा 1522 (4 तथा 5)
[94] तापमान, प्रकाश, वेंटिलेशन, नमी, धूल, फ्यूम, गैस, शोर, वाइब्रेशन, वायु प्रदूषण तथा स्वच्छता
[95] श्रम, शिफ्ट कार्य, कर्मचारियों द्वारा उठाया गया भार आदि की उपस्थिति
[96] ईसीआर, ईआर, एनईआर, एनसीआर, एनएफआर, एनआर एससीआर तथा डब्ल्यूसीआर
[97] ईसीआर, ईआर, एनसीआर, एनईआर, एनएफआर, एनआर और एससीआर
[98] ईआर, एनसीआर, एनआर, एसईसीआर, एसडब्ल्यूआर

ईकाईयां जुड़ी हुई नहीं थी। तीन[99] उत्पादन ईकाईयां, स्वास्थ्य ईकाईयों से जुड़ी हुई थी।

IV. छः उत्पादन ईकाईयों में से, केवल आरडब्ल्यूएफ, येलाहंका में 2011-12 के दौरान आवधिक निरीक्षण किया गया। दो उत्पादन ईकाईयों (डीएलडब्ल्यू/वाराणसी तथा आरडब्ल्यूएफ/येलांहका) में अनुशंसित सुरक्षा उपायों (पिछले वर्षों के दौरान की गई सिफारिशों सहित) के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग की गई।

रेलवे बोर्ड के स्वास्थ्य निदेशालय ने (दिसम्बर 2013) कहा कि कार्य माहौल के भौतिक तथा रसायनिक खतरों से उत्पन्न दुर्घटनाओं तथा बीमारियों को रोकने के लिए समय-समय पर कार्य प्रबंधक के लिए सिफारिशें की जा रही थी। रेलवे बोर्ड ने यह भी कहा कि इस विषय पर क्षेत्रीय रेलों तथा उत्पादन ईकाईयों के लिए वर्तमान अनुदेशों को दोहराया गया था। तथापि, तथ्य यह है कि 40 कार्यशालाएं तथा 80 शेडों (87 *प्रतिशत*) में चिकित्सकों द्वारा आवधिक निरीक्षण नहीं किया गया।

इस प्रकार, कार्यशालाओं, शेडों तथा उत्पादन ईकाईयों के कर्मचारियों की स्वास्थ्य तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा अधिकारी द्वारा आवधिक निरीक्षण के संबंध में भारतीय रेल चिकित्सा नियमपुस्तक में उल्लेखित अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया गया था।

5.3 चिकित्सा अभिलेखों का अनुरक्षण

भारतीय रेलवे चिकित्सा नियमपुस्तक[100] व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाओं की भविष्य योजना, विकास तथा कुशल संचालन के लिए कर्मचारियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड तथा व्यावसायिक विकलांगता रिकॉर्ड के उचित रख-रखाव प्रदान करती है।

[99] आईसीएफ, आरडब्ल्यूएफ तथा डीएलडब्ल्यू। सीएलडब्ल्यू इकाई की कार्यशालाएं से जुड़ी एक प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट।

[100] भारतीय रेलवे चिकित्सा नियमपुस्तक का पैरा 1522(6)

चयनित इकाईयों में कर्मचारियों के स्वास्थ्य रिकॉर्डो के अनुरक्षण की संवीक्षा से पता चला कि 46 कार्यशालाएं तथा 77 शेड़ों (89 *प्रतिशत*) जहां स्वास्थ्य इकाईयां जुड़ी हुई थी, में से सात क्षेत्रीय रेलों[101] में 10 कार्यशालाएं तथा 15 शेडों (20 *प्रतिशत*) से जुड़ी स्वास्थ्य इकाईयों में कर्मचारियों के चिकित्सा रिकॉर्डो का अनुरक्षण किया गया था। उत्पादन ईकाईयों से जुड़े स्वास्थ्य ईकाईयां ने कर्मचारियों के चिकित्सा अभिलेखों का अनुरक्षण किया।

रेलवे बोर्ड के स्वास्थ्य निदेशालय ने कहा (दिसम्बर 2013) कि चिकित्सा श्रेणी के अनुसार भारतीय रेल में निर्धारित आवृति के अनुसार सभी कर्मचारियों की निवारक चिकित्सा जांच की जा रही थी। यह भी कहा गया कि कर्मचारी के सहायक चिकित्सा अधिकारी के साथ अभिलेखों का अनुरक्षण किया जा रहा था। स्वास्थ्य निदेशालय का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यशालाएं तथा शेडों से जुड़ी स्वास्थ्य इकाईयों में केवल 20 *प्रतिशत* कर्मचारियों के चिकित्सा अभिलेख अनुरक्षित किए गए।

5.4 व्यावसायिक सुरक्षा

कार्यशालाओं, शेड़ों तथा उत्पादन ईकाईयों में तापमान, प्रकाश, वेंटिलेशन, नमी, धूल, फ्यूम, गैस, शोर, वाइब्रेशन, वायु प्रदूषण तथा स्वच्छता जैसे कार्य पर्यावरण कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते है। कर्मचारी की सुरक्षा के लिए प्राथमिक विषय को उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) के उपयोग के माध्यम से व्यवहारित किया जाना चाहिए। कारखाना अधिनियम की धारा 41 अनुबंधित करती है कि कर्मचारियों को सन्निहित खतरों से उनकी रक्षा करने के लिए पीपीई प्रदान किया जाना है।

[101] सीआर, ईसीआर, एनसीआर, एनईआर, एनएफआर, एनआर तथा डब्ल्यूसीआर

लेखापरीक्षा ने ग्यारह क्षेत्रीय रेलों[102] में 30 कार्यशालाएं तथा 61 शेडों के कर्मचारियों के बीच एक सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण से पता चला कि यद्यपि तीन क्षेत्रीय रेलों में पीपीई प्रदत्त कर्मचारियों की प्रतिशतता 43 *प्रतिशत* से कम थी तथापि, चार क्षेत्रीय रेलों में यह 43 तथा 62 *प्रतिशत* के बीच थी। शेष चार क्षेत्रीय रेलों में, पीपीई प्रदत्त कर्मचारियों की प्रतिशतता 78 तथा 97 *प्रतिशत* के बीच थी। पीपीई के उपयोग के संदर्भ में, सात क्षेत्रीय रेलों[103] में कार्यशालाएं तथा शेडों के 80 *प्रतिशत* से अधिक कर्मचारियों ने कहा कि वे पीपीई का उपयोग कर रहे थे। रेलवे अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण के दौरान चार क्षेत्रीय रेलों मे निम्नलिखित कमियां पाई गई:

I. कार शेड/टीबीएम (एसआर) से किसी भी कर्मचारी ने पीपीई नहीं पहना था। एसआर में, ईडब्ल्यूएस/एजेजे, डीएलएस/टीएनपी तथा सीडी/बीबीक्यू के अधिकतर कर्मचारी भी सुरक्षा गैजेटस नहीं पहने हुए थे।

पीपीई ईडब्ल्यूएस/एजेजे (एसआर) के बिना कार्यरत

II. सीआरडब्ल्यू/बीबीएस (ईसीओआर) में, कुछ कर्मचारियों ने उनको दिए गए सुरक्षा गैजेटस नहीं पहने थे।

III. यद्यपि संकेतक कार्यशाला/केजीपी/एसईआर के कर्मचारियों ने सर्वेक्षण प्रशनावली में कहा कि वे पीपीई का उपयोग कर रहे थे तथापि, स्थल सत्यापन से पता चला कि कर्मचारी पीपीई का उपयोग नहीं कर रहे थे।

IV. एनफआर में, डीजल शेड/नई गुवाहटी पर कर्मचारी पीपीई का उपयोग नहीं कर रहे थे।

[102] ईसीओआर, ईआर, ईसीआर, एनएफआर, एससीआर, एसईआर, एसडब्ल्यूआर, डब्ल्यूसीआर, डब्ल्यूआर, एसईसीआर तथा एनसीआर

[103] ईआर, एनईएफआर, एससीआर, एसईआर, एसडब्ल्यूआर तथा डब्ल्यूसीआर

चयनित इकाईयों में 2007-12 के दौरान दुर्घटनाओं से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि:

- 16 क्षेत्रीय रेलों में 10,420 दुर्घटनाएं हुई थी (***परिशिष्ट VI***) इनमे से तीन क्षेत्रीय रेलों (सीआर, ईआर तथा एनआर) में 12 कार्यशालाएं तथा 18 शेडों में 5339 दुर्घटनाएं (51 *प्रतिशत*) हुई थी।

- कार्यशालाएं जिन्होंने दुर्घटनाओं की अधिक संख्या दर्ज की, वे कांचरापारा/ईआर (1098 दुर्घटनाएं), जगधारी/एनआर (943 दुर्घटनाएं), जमालपुर/ईआर (807 दुर्घटनाएं) तथा परेल/सीआर (602 दुर्घटनाएं) थे।

- सभी क्षेत्रीय रेलों में 9747 कर्मचारी धायल हुए। इनमें से 4119 कर्मचारी (42 *प्रतिशत*) सीआर तथा ईआर मे आठ कार्यशालाएं तथा 12 शेडों में धायल हुए थे।

- 49 मृत्युओं में से 11 डब्ल्यूआर में हुई। उत्पादन इकाईयों में 775 दुर्घटनाएं हुई जिसके परिणामस्वरूप पांच कर्मचारियों[104] की मृत्यु तथा 773 कर्मचारी धायल हुए।

इस प्रकार, कर्मचारियों की सुरक्षा से पीपीई की आपूर्ति न होने तथा कर्मचरियों द्वारा इसके उपयोग की मॉनीटरिंग ना करने के कारण समझौता किया गया। यद्यपि समीक्षा अवधि के दौरान दुर्घटनाओं की संख्या मे कमी की प्रवृत्ति दिखाई दी तथापि विशेषत: चार क्षेत्रीय रेलों (सीआर, ईआर,एनआर तथा डब्ल्यूआर) में मृत्यु तथा चोटो के मामले अधिक थे जो कर्मचारियों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन में कार्यशालाओं, शेडों तथा उत्पादन इकाईयों की कमियों को दर्शाते है।

[104] आईसीएफ (3), आरसीएफ(1) और सीएलडब्ल्यू (1)